Hospital, some drugs have been seized by the Police from a Jhuggi, in Kali Bari Marg, New Delhi, the value of the seized drugs is said to be around Rs. 15,000;

(b) and (c) The Police has registered a case under section 103 of D.P. Act vide D.D. No. 19-A, dated 18.6.97, P.S. Mandir Marg. The accused was convicted on 19.6.97 with fine of Rs. 100/- and one day rigorous imprisonment. However, to examine whether these drugs had been pilferred from the Ram Manohar Lohia Hospital, the hospital authorities have requested the Commissioner of Police to get an enquiry conducted by their Crime Branch.

त्रिपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र

196. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अब तक त्रिपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान त्रिपुरा में कितने-कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ग) ये केन्द्र जिला-वार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा इनमें से प्रत्येक को कितना-कितना धन आवंटित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) अनुमोदित मानदंडों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी और पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः प्रत्येक 30000 जनसंख्या और 20000 जनसंख्या के लिए और एक उप केन्द्र क्रमशः प्रत्येक 5000 जनसंख्या और 3000 जनसंख्या के लिए खोला जाता है। तथापि राज्य सरकार को अपनी सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए मानदंडों में छूट है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। 1996-97 के दौरान त्रिपुरा को इस कार्यक्रम के अधीन 549.00 लाख रुपये आवंटित किए थे। राज्य में उप केन्द्रों के लिए 70.00 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा में 1992 से दिसम्बर, 1996 तक 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 6 उप केन्द्र खोले गए थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार जिलावार ब्यौरा नहीं रखती है।

Central Fund to Eradicate Malaria in Gujarat

197. SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have provided Central funds to Gujarat to establish malaria treatment and drug distribution centres at the village level, throughout the State;

(b) if so, the details thereof for the last three years, year-wise;

(c) whether Government propose to increase the fund to enable the state Government to increase the number of such centres; if not, the reasons therefor; and

(d) the other measures being taken by Government to eradicate malaria in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) Fever Treatment Depots (FTDs) and Drug Distribution Centres (DDCs) under National Malaria Eradication Programme are established at the village level for distribution of Chloroquine in fever cases so that people in the inaccessible areas can get presumptive treatment. This is voluntary gesture. The services of members of the Panchayats, Post Masters, Community Leaders, School Teachers etc. are utilised to act as DDCs/FTDs for this purpose.

(c) Under the proposed enhanced Malaria Control Project with World Bank